विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / 5241 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / 2016, भोपाल, दिनांक : 19 / 08 / 2016

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला – समस्त,
   मध्यप्रदेश

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत – समस्त,
   मध्यप्रदेश

विषयः– मनरेगा एवं अन्य मदों से सम्पादित कार्यों में मिट्टी की खुदाई की दरों हेतु जिला दर अनुसूची में संशोधन।

विभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा / अन्य मदों में विभिन्न श्रम मूलक कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत / ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्यों हेतु जिला दर अनुसूची में दरें निर्धारित हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत जॉबकार्डधारी श्रमिकों में महिलायें (विशिष्ट श्रेणी की भी), सीनियर सिटीजन (65 वर्ष से अधिक आयु के), विकलांग भी शामिल होते हैं। निर्माण कार्यों में मिट्टी की खुदाई का कार्य अन्य अवयव की तुलना में अधिक श्रम साध्य है। मिट्टी कड़ी (Hard Soil) होने पर, मार्ग हेतु खंती की खुदाई, तालाब मरम्मत / जीर्णोद्धार आदि में श्रमिकों के माध्यम से खुदाई का कार्य परम्परागत औजार (गैती, फावड़ा आदि) से करना संभव नहीं हो पाता। खुदाई की दरों में ढेलों को तोड़ना, कोर्सर मटेरियल को छांटना, 20 मीटर की दूरी एवं 1.5 मी. की लिफ्ट में शामिल रहता है।

भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा जारी IRC:SP::20-2002 की कंडिका 8.11 अंतर्गत हार्ड स्वाईल को Tractor-towed mould broad plough/rotavator द्वारा खुदाई किये जाने का एवं Soft Soil श्रमिकों से (मेनुअली) कराये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने विकास आयुक्त कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 5227 दिनांक 19.08.2016 द्वारा जिला दर अनुसूची में चतुर्थ संशोधन जारी किया है। संशोधन की प्रति संलग्न है। इस संशोधन के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मशीन द्वारा मिट्टी खुदाई कार्य करने के लिए रूपये 2.70 प्रति क्यूबिक मीटर ओर मिट्टी के कार्य की मजदूरी रूपये 50 / – प्रति क्यूबिक मीटर निर्धारित की गई है।

विकास आयुक्त कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 3355 दिनांक 28.05.2016 द्वारा जारी राज्य दर अनुसूची में चतुर्थ संशोधन में मिट्टी कार्य के लिए रूपये 40 / – प्रति क्यूबिक मीटर की दर निर्धारित की गई है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को छोड़कर शेष सभी योजनाओं के संबंध में लागू होगी।

पालनार्थ।

संलग्नः– संशोधन की प्रति।

19.08.16

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / 5242 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / 2016, भोपाल, दिनांक : 19 / 08 / 2016

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय समस्त
3. आयुक्त (समस्त) राजस्व संभाग मध्यप्रदेश।
4. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल – समस्त, मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग – समस्त, मध्यप्रदेश।
6. सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त, मध्यप्रदेश।

की ओर पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि तकनीकी स्वीकृति देते समय उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाये।

18/8

प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
मध्यप्रदेश, भोपाल

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 5227 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / 2016 भोपाल दिनांक 19 / 08 / 2016

संशोधन क्रमांक – 4

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 12.04.2013 को जारी जिला दर अनुसूची के पंचम डाटाबेस के आधार पर जिले में तैयार की जा रही दर अनुसूची के **अध्याय क्रं. 25 – मनरेगा कार्य** में नवीन आयटम क्रं. 2530 (a) एवं 2530 (b) को जोड़ा जाता है:–

Code	Description	Unit	Current Rate (Rs.)
2530 (a)	Loosening of hard soil such as moorum etc. by ploughing (tractor etc.) the existing ground exceeding 30 cm in depth as well as 10 sqm on plan including all running expenses of machine.	cum	2.70
2530 (b)	Spreading, dressing, breaking of clods of ploughed earth upto 20m. lead and lift upto 1.5m. disposed soil to be leveled and neatly dressed.	cum	50.00

उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से जिला दर अनुसूची पर कराये जाने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों पर लागू होगा।

2/ विकास आयुक्त कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 3355 दिनांक 28.05.2016 द्वारा जारी राज्य दर अनुसूची में चतुर्थ संशोधन में मिट्टी कार्य के लिए रूपये 40/– प्रति क्यूबिक मीटर की दर निर्धारित की गई है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को छोड़कर शेष सभी योजनाओं के संबंध में लागू होगी।

19/8

(अनिरूद्ध डी. कपाले)
प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल

पृ.क्रमांक 5228 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / 2016 भोपाल दिनांक 19 / 08 / 2016

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. आयुक्त (समस्त) राजस्व संभाग मध्यप्रदेश।
5. प्रमुख अभियंता मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण / लोकनिर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
6. कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश।

7. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर मध्यप्रदेश।
8. अधीक्षण यंत्री (समस्त) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश।
9. कार्यपालन यंत्री (समस्त) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ । कृपया मैदान अधिकारियों को आवश्यक रूप से एक प्रति उपलब्ध कराई जावे। अध्यायवार संशोधन दर अनुसूची में चस्पा करे।

प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल